न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—कृष्ण गोपाल जोजन आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 15/2016

रघुवीर सिंह वगै0 **बनाम** सरोज वगै0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 (घ) एवं धारा 151 जा0दी0

उपस्थिति :—

प्रार्थीः— विद्वान अभिभाषक श्री मोहनलाल नागर।

अप्रार्थीः— विद्वान अभिभाषक श्री भगवान स्वरूप मंगल।

आदेश दिनांक 31.12.2019

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। प्रार्थी/प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया कि वाके ग्राम एवं माल कवाई तहसील अटरू में खाता संख्या 718 की ख0नं0 527 रकबा 0.25 है0 भूमि प्रार्थी प्रति0 क्रम 1 सरोज के खाते दर्ज चली आ रही है। वादीगण अप्रार्थीगण ने अपने वाद पत्र में यह अंकित किया है कि मंजूला कंवर एवं सुशीला कवर पुत्रिया रघुनाथ सिंह ने ख0नं0 527 रकबा 0.25 है0, भूमि को खाता दुरूस्त करवाकर अपने खाते दर्ज करवा लिया तथा मंजूला कंवर एवं सुशीला कंवर ने उनके खाते एवं हिस्से की भूमि को श्रीमति निर्मला पत्नी राजेन्द्र कुमार, श्रीमति सरोज पत्नी सत्यनारायण, श्रीमति इन्द्रा पत्नी सुन्दरलाल जाति महाजन निवासीगण कवाई को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र बेचान कर दिया है। वादीगण ने प्रति0 क्रम 1 के खाते एवं कब्जे की भूमि को प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खाते बंधवाने का वाद पेश किया है। प्रतिकूल कब्जे के आधार पर किसी के खाते की भूमि को खाते दर्ज नही किया जा सकता। इस सम्बन्ध मे राजस्व मण्डल अजमेर, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर एवं माननीय उच्चतम न्यायालय दिल्ली ने निर्णय पारित किये है। वादीगण ने वाद पत्र की मद नं0 3 में यह अंकित व स्वीकार किया है कि मंजूला कंवर व सुशीला कंवर ने ख0नं0 527 रकबा 0.25 है0 भूमि का जर्ये रजिस्टर्ड बेचान कर दिया है। वादीगण उक्त बेचान नामें को दीवानी न्यायालय से अवैध प्रभाव शून्य घोषित करवाये बिना किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त करने के अधिकारी नही है। बेचान नामे को अवैध एवं प्रभाव शून्य घोषित किये जाने का क्षैत्राधिकार सिविल न्यायालय को होने से इस न्यायालय को इस वाद को सुनने का क्षैत्राधिकार सिविल न्यायालय को होने से इस न्यायालय को इस वाद को सुनने का क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त नही है। वादीगण द्वारा प्रतिकूल

कब्जे के आधार पर वाद पेश करने से तथा विभिन्न न्यायालयों द्वारा प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार नही प्रदान किये जाने बाबत् निर्णय पारित किये जाने से वादीगण को कोई वाद कारण उत्पन्न नही होता है। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगें।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद खारिज फरमाया जावे।

वादीगण/प्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व 151 सी0 पी0 सी0 का प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया गया कि प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 2 जिस प्रकार लिखी गई है स्वीकार नही है अपितु कथन है कि मंजूला कंवर व सुशीला कंवर ने वादीगण के पिता सत्यनारायण सिंह को विवादित आराजी ख0नं0 527 का रकबा 0.25 है0 पारिवारिक बंटवारे में मिली थी जिसका खाता दुरूस्त न करवाकर न्यायालय ए.सी.एम. साहब अटरू से दावा कर उक्त आराजी को अपने हिस्से में बताकर वादीगण व वादीगण के पिता को बिना सुने निर्णय दिनांक 07.11.2001 पारित करवा लिया और उनके आधार पर मंजूला कंवर व सुशीला कंवर ने अपना नाम दर्ज करवाकर चुपचाप प्रतिवादी क्रम 1 व निर्मला पत्नी राजेन्द्र इन्द्रा पत्नी सत्यनारायण को बेचान कर दिया। प्रार्थना पत्र की मद नं0 3 स्वीकार नही है अपितु कथन है कि विवादित आराजी वादीगण के पिता सत्यनारायण सिंह को परिवार के संयुक्त खाते मे से पारिवारिक बंटवारे में मिली थी जो पूर्व से वादीगण के पिता के हिस्से मे चली आ रही थी जो वर्तमान में वादीगण के कब्जे काश्त एवं स्वामित्व में है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 4 जिस प्रकार लिखी गई है स्वीकार नही है अपितु कथन है कि बिना कब्जे व बिना हस्तान्तरण के ऐसा बेचान पूर्ण बेचान की श्रेणी मे नही होने से स्वतः ही प्रभाव शून्य है और अवैध बेचान को प्रभाव शून्य घोषित करने का माननीय नयायालय को क्षैत्राधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 5 अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 6 का जवाब बवक्त बहस मौखिक निवेदन किए जावेगे। अनुतोष प्रार्थी अस्वीकार है।

—::विशेष विवरण::—

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र मनगढन्त व तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। जो खारिज होने योग्य है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

उभय पक्षकारान की बहस प्रार्थना पत्र सुनी अभिभाषक प्रार्थी/प्रति0 क्रम 1 द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य को दोहराया तथा कथन किया गया कि अप्रार्थी बैचान नामें को

दीवानी न्यायालय से अवैध प्रभाव शून्य घोषित करवाये बिना किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त नही कर सकता बैचान नामें को अवैध प्रभाव शून्य घोषित किये जाने का क्षैत्राधिकार सिविल न्यायालय को है। इस न्यायालय को नही है। तथा प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नही किये जा सकते है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी का वाद खारिज फरमाया जावें।

अभिभाषक अप्रार्थी वादी द्वारा कथन किया गया कि विवादित आराजी वादीगण/अप्रार्थीगण के पिता सत्यनारायण सिंह को परिवार के संयुक्त खाते में से परिवारिक बंटवारे में मिली थी पूर्व में वादीगण के पिता के हिस्से में चली आ रही है। तथा वर्तमान में वादी अप्रार्थी के कब्जे काश्त में है। बिना कब्जे व बिना हस्तान्तरण के ऐसा बैचान पूर्व बैचान की श्रेणी मे नही आता है। जो स्वतः ही प्रभाव शून्य है।

उभय पक्षकारों की बहस पर ममन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया, विवादित आराजी ग्राम कवाई की खाता सं0 718 किता 6 रकबा 5.03 है0 खातेदार प्रार्थी/प्रतिवादी कम 1 सरोज बाई पत्नी सत्यनारायण के खाते दर्ज है। सहखातेदारों द्वारा अपना खाता पृथक करवाकर सरोज को बैचान किया उस बैचान नामें को अवैध शून्य घोषित नही करवाया गया वादीगण/अप्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया जिससे कब्जा प्रभावित हो।

प्रतिवादी/प्रार्थीया द्वारा मा0 उच्च न्यायालय की नजीरे पेश की है जिसके आधार पर प्रतिकूल कब्जाधारी वाद नही ला सकता मात्र प्रतिरक्षा में इसकी आपत्ति कर सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व 151 सी0पी0सी0 स्वीकार योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व 151 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाता है तथा वादी का वाद खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कृष्ण गोपाल जोजन)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishna Gopal Jojan
Date: 2020.02.05 16:44:04 IST
Reason: SelfAttested
Location: